E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः– 1207 / 12–1 दिनांक, पौड़ी, नवम्बर 29 ,2025.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय– **जनपद रूद्रप्रयाग के अन्तर्गत नगर पंचायत अगस्तयमुनि में कूड़ा निस्तारण स्थल के निर्माण हेतु 0.90 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**
प्रस्ताव सं0– FP/UK/OTHERS/148185/2021

सन्दर्भ– **आपकी पत्र सं0– 2995/ FP/UK/Others/148185/2021 दिनांक 14.06.2022,**

महोदय,

प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग द्वारा अपने पत्रांक 3829/12–1(2) दिनांक 22.05.2025 (दिनांक 19.11.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त) से अवगत कराया गया है कि विषयांकित प्रकरण में सन्दर्भित पत्र से चाही गई सूचना अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, अगस्त्यमुनि द्वारा अपने पत्रांक 145/SWM(Land Transfer)/2025–26 दिनांक 13.05.2025 से प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग को प्रेषित की गई है जो निम्नवत् है। संशोधित प्रपत्र परिवेश पोर्टल के पार्ट–। में ऑनलाईन अपलोड किए गए हैं।

क्र0	चाही गई सूचना	उत्तरालेख
1	प्रस्ताव कितने वर्षो हेतु लीज पर लिया गया है, इस हेतु लीज अवधि का प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न नहीं किया गया है एवं ऑन लाईन पैरा–A.1(X) में वन भूमि कितने वर्षों हेतु लीज पर ली गयी है इसकी अवधि अंकित नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि उक्त वन भूमि नगर पंचायत अगस्त्युनि को पूर्ण हस्तान्तरण किया जाना है। अतः लीज की अवधि अंकित नहीं की गयी है।
2	वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न करते हुए ऑनलाईन यथास्थान अपलोड कने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि वन अधिकार अधिनियम 2006 से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र (प्रपत्र–23, 23.1, 23.2,) तैयार कर प्रस्ताव के साथ संलग्न एवं आनलाईन यथास्थान अपलोड कर दिये गये हैं।
3	प्रस्तावित निर्माण कार्य के ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें। इसके अतिरिक्त परियोजना की KML File में ले आउट प्लान को दर्शाते हुये पुनः संशोधित KML File यथा स्थान अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि प्रस्तावित निर्माण कार्य का ले–आउट प्लान के अनुसार परियोजना का मदवार विवरण प्रस्ताव में संलग्न करते हुए यथास्थान अपलोड कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त परियोजना की KML file में ले आउट प्लान को दर्शाते हुए संशोधित KML file यथास्थान अपलोड कर दी गयी है।
4	प्रस्ताव ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन (कूडा निस्तारण) हेतु प्रस्तावित है जिस हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 08.04.2016 **(प्रति संलग्न है)** की धारा–15(म) के अनुसार 5 मिट्रिक टन प्रतिदिन से अधिक अपशिष्ट होने पर ही अपशिष्ट प्रसंस्करण, शोधन एवं निस्तारण सुविधा स्थापित करने के लिये स्वास्थ्यकर भरण स्थल सहित राज्य प्रदूषण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से प्राधिकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन अपेक्षित है। वर्तमान में नगर पंचायत अगस्त्यमुनि में लगभग 2 मिट्रिक टन अपशिष्ट उत्पादित होता है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन डीपीआर की Executive Summary की छायाप्रति अवलोकन हेतु संलग्न है। अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति अपेक्षित नहीं है।

JAIDEEP

क्रमशः पेज 02 पर

E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

5	प्रस्ताव के ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट–I के पैरा–E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में आपके द्वारा ऑनलाईन 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गई है। अतः इस सम्बन्ध में सूचित किया जाय कि क्या प्रश्नगत परियोजना के क्रियान्वयन में 50 लोगों को आपके द्वारा स्थाई रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा, अन्यथा सही सूचना भरी जाय।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव के ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट–1 के पैरा–E में प्रस्तावित परियोजना में रोजगार उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में त्रुटिवश 50 स्थाई रोजगार की सूचना भरी गयी थी, जिसे ऑनलाईन फार्म ए के पार्ट–I के पैरा–E में (7 स्थाई एवं 10 अस्थाई रोजगार) संशोधित सूचना भरी गई है।
6	प्रस्ताव के ऑनलाईन पार्ट–I के पैरा–K में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित सूचना अपलोड नहीं की गयी है।	प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग के माध्यम से अवगत कराया गया है, कि प्रस्ताव के आनलाईन पार्ट–I के पैरा–K में वन अधिकार अधिनियम, 2006 से सम्बन्धित सूचना (प्रपत्र–23, 23.1,23.2) अपलोड कर दी गई है।
7	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामन्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची में वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची (प्रपत्र संख्या–15.4 व 15.5) तैयार कर आनलाईन अपलोड करते हुये प्रस्ताव में संलग्न की गई है।

<u>संलग्नकः– यथोपरि।</u>

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP